41–(08)–54–2018

पटना में दिनांक–28 अगस्त, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	
1.	श्री मोहन कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, जयनगर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने के संबंध में।	1. **स्वीकृत।**
	सामान्य प्रशासन विभाग	
2.	कैमूर, भभूआ न्यायालय के अंतर्गत मोहनिया में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) संवर्ग में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के 01 (एक) पद का ₹13,30,139/–(तेरह लाख तीस हजार एक सौ उनचालीस रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति।	2. **स्वीकृत।**
	सामान्य प्रशासन विभाग	
3.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 185 पद, जिनमे 38 पद अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु 147 पद फास्ट ट्रैक न्यायालयों हेतु तथा 10 पद अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय हेतु (कुल 195) अस्थायी पदों के गैर योजना मद में सृजन की स्वीकृति।	3. **स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग	
4.	राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाईन निबंधन प्रणाली की स्वीकृति के संबंध में।	4. **स्वीकृत।**
	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
5.	7वें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा एवं वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा नियमावली–2017 के कंडिका–3(1) में पदों की संरचना में संशोधन करने की स्वीकृति के संबंध में।	5. **स्वीकृत।**
	पंचायती राज विभाग	
6.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में पंचायत सरकार भवनों/ग्राम पंचायत भवनों के रख–रखाव एवं प्रशासनिक व्यय/उपस्कर क्रय हेतु ₹44,58,50,000.00 (चौवालीस करोड़ अन्ठावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।	6. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

7. ढड़हर पम्प हाउस एवं लिंक नहर का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 5771.00 लाख रूपये (पाँच हजार सात सौ इकहत्तर लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

9. बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० (कॉम्फेड), पटना के अधीन विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा राज्य के बाहर मुरादाबाद स्थित मे० जोया डेयरी को दुध की आपूर्ति से संबंधित मामलें की जाँच भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना द्वारा जाँच के पश्चात् जाँच (अंकेक्षण) प्रतिवेदन प्रकाशित कराने हेतु महामहिम राज्यपाल से Entrustment प्रदान करने की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

10. भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत आकस्मिक/आपातकालीन/अत्यावश्यक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सूचीबद्ध संवेदकों से नामांकन आधार पर कार्य कराने के लिए लोक निर्माण संहिता की कंडिका 158 में आवश्यक संशोधन करते हुए 158(B) का प्रावधान करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

11. योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 "क" में अतिरिक्त उप कंडिका (iii) के प्रावधान में संशोधन किए जाने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा अभियान के तहत केन्द्रांश मद में राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद से उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 3372 शिक्षकों के माह जून 2018 तक के वेतन भुगतान हेतु कुल ₹30,95,53,386/–(तीस करोड़ पंचानवे लाख तिरपन हजार तीन सौ छियासी) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13.	मध्याह्न भोजन स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए शत–प्रतिशत राज्यांश मद से राज्य सरकार द्वारा सप्ताह में एक दिन अंडा एवं शाकाहारी बच्चों के लिए समतुल्य राशि का मौसमी फल देने पर कुल व्यय 30228.61 लाख (तीन सौ दो करोड़ अठ्ठाईस लाख एकसठ हजार रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	13.	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग
(जन शिक्षा)

14.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में "साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम" (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत दिनांक–31.03.2018 तक कार्यरत समन्वयकों एवं प्रेरकों का बकाया मानदेय एवं अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित भुगतान हेतु राज्यांश मद से 6994.00 लाख (उन्हत्तर करोड़ चौरानवे लाख रू०) के सहायक अनुदान की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	14.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

15.	बिहार उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायधीश कोटि) के स्वीकृत संवर्गीय पद बल के आधार पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में पदों का सम्परिवर्त्तन की स्वीकृति।	15.	**स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

16.	सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत "हर घर नल योजना" के लिए राज्य के सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पर जलापूर्ति के लिए स्थापित किए जाने वाले मोटर पम्प हेतु विद्युत सम्बन्ध स्थापित करते हुए ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्त के न्यूनतम दर रू० 2.65 (दो रूपये पैसठ पैसे) प्रति यूनिट पर विपत्रीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत दोनों वितरण कम्पनियों को इस योजना के पूर्ण कार्यान्वियन होने पर आकलित विद्युत खपत 450 मिलियन यूनिट पर रू० 211.50 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ पचास लाख रूपये) अनुदान की स्वीकृति के साथ–साथ वर्ष 2018–19 में रू० 50 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) अतिरिक्त अनुदान उपलबध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	16.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

17. टाल क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थित 61 अदद् पईन का उड़ाही कार्य का पुनरीक्षित योजना (एजेण्डा संख्या–138/66) (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 2306.22 लाख) (तेईस करोड़ छः लाख बाईस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

17. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

18. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–3852/2011 में दिनांक–31.01.2018 को पारित आदेश एवं स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 243(3), दिनांक 22.05.2017 के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी की भांति बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) चिकित्सा शिक्षण सेवा सम्वर्ग के शैक्षणिक पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक–28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP(civil)CC संख्या 24758– 24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त्त पर करने की स्वीकृति एवं एतद् संबंधी भुगतान करने के पूर्व सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारियों से राशि की वसूली का लिखित शपथनामा (Undertaking) विहित प्रपत्र में लेने के बाद प्राधिकार पत्र/वेतन पर्ची निर्गत करने का प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

19. आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत महानिदेशक, आयुष एवं उनके कार्यालय हेतु कुल चार पदों के सृजन के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

20. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम–123 में संशोधन के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

21. दूरस्थ ग्रामीण आबादी को प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में।

21. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

22. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

22. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

23. 1 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्मित आवासों जो वर्त्तमान में जीर्ण–शीर्ण है, के निर्माण हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' की स्वीकृति के संबंध में।

23. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

24. आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण का बिहार सवास्थ्य सुरक्षा समिति के रूप में गठन और एतदर्थ स्मृति–पत्र एवं उपविधियाँ की स्वीकृति और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत इसके निबंधन की स्वीकृति।

24. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) कार्यक्रम के माध्यम से SECC-2011 के आँकड़ों से निर्धारित पात्रता के अनुसार राज्य के चिह्नित परिवारों को पाँच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उक्त योजना को बिहार राज्य में एस्योरेंस मोड में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करने की स्वीकृति।

25. **स्वीकृत।**